भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1933

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सूखा प्रबंधन संहिता, 2016

1933. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूखा प्रबंधन संहिता, 2016 के मुख्य प्रावधानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सूखे की घोषणा की अवधि को अगले वर्ष के जुलाई माह तक अथवा मानसून के आरंभ होने तक, जो भी पहले हो, सूखे के प्रभाव के अनुसार बढ़ाने के संबंध में सूखा प्रबंधन संहिता, 2016 में आवश्यक संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को सूखे, ओलावृष्टि, कीट हमले और शीत लहर/ठंड के मद्देनजर राहत उपायों की निगरानी और समन्वय करने का अधिकार है। सूखे की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सूखा प्रबंधन के लिए मैनुअल प्रकाशित की गई थी। इसमें विभिन्न एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और उनके समन्वय हेतु मार्गदर्शन किया गया है। इस मैनुअल में संस्थागत संरचना, सूखे की निगरानी के प्रमुख घटक, सूखे की घोषणा, सूखे पर प्रतिक्रिया, राहत और शमन शामिल हैं।

आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मैनुअल को दिसंबर, 2016 में संशोधित/अद्यतन किया गया था। संशोधित सूखा मैनुअल में सूखे की निगरानी/निर्धारण में आधुनिक तकनीक के उपयोग का प्रावधान है। सूखे के अधिक सटीक आकलन और निगरानी के लिए नए वैज्ञानिक सूचकांक और पैरामीटर शामिल किए गए थे। मैनुअल में राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सूखा प्रबंधन और शमन के लिए एक प्रणाली का भी सुझाव दिया गया है। प्रारम्भ में, खरीफ मौसम के दौरान सूखे की घोषणा की प्रक्रिया मैनुअल में निर्धारित की गई थी। जुलाई 2018 में, राज्यों के लाभ के लिए रबी मौसम के दौरान सूखे की घोषणा की प्रक्रिया को जोड़ा गया था।

(ख) और (ग): जी नहीं। हालांकि सूखा प्रबंधन मैनुअल, 2016 (सूखा मैनुअल) के अनुसार, राज्य सरकार को खरीफ के लिए 31 अक्टूबर से पहले और रबी के लिए 31 मार्च से पहले अधिसूचना के माध्यम से सूखा घोषित करना आवश्यक है। ऐसी सूखा अधिसूचना की वैधता 6 महीने से अधिक नहीं होती है। देरी से बुवाई/रोपाई के मामले में, राज्य सूखा घोषणा तिथि के विस्तार के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह विस्तार किसी भी मामले में 3 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता है। राज्यों को विस्तार अनुरोध के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।

*****